न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/80

मिसल नम्बर– 11/2025

1.श्रीमती कौशल्या बाई पत्नी स्व0 छीतरलाल, आयु 66 वर्ष निवासी 365 प्रताप नगर, बोरखेड़ा कोटा हाल निवासी नयापुरा कोटा राज0

प्रार्थीगण।

बनाम

1.देवकी रमण पुत्र स्व0 छीतरलाल,
2.कपिता पत्नी देवकी रमण
3.रवि पुत्र स्व0 छीतरलाल
4.प्रियंका पत्नी रवि निवासीगण 365, प्रताप नगर बोरखेड़ा थाना बोरखेड़ा कोटा।

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 1/7/25

उपस्थितिः–

1.श्री विधाशंकर गोस्वामी प्रार्थी अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमती कौशल्या बाई मकान नं0 365 प्रताप नगर, बोरखेड़ा कोटा हाल निवासी नयापुरा कोटा राज0 में निवास करती है, जिनकी वृद्धावस्था है। देवकी रमण व रवि प्रार्थिया के पुत्र है एवं कविता एवं प्रियंका प्रार्थीया की बहुएं है। प्रार्थीया के पति का स्वर्गवास वर्ष 2013 में हो चुका है। प्रार्थीया के मालिकान स्वत्व का एक मकान पैमाईश 25 गुणा 50 फीट वाके प्रताप नगर बोरखेड़ा कोटा में स्थित है, जिसमें दो कमरे ग्राउण्ड फलोर व 2 कमरे उपर बने हुए है, प्रार्थीया भी उपरोक्त वर्णित मकान के प्रथम मंजिल पर निवास करती थी। उक्त मकान नगर विकास न्यास से श्रीमती कौशल्या बाई द्वारा खरीद किया गया था, जिसकी लीज डीड का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय कोटा में पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 1248, क्रम सं0 2014001218 पृष्ठ सं0 169 पर दिनांक 07.02.14 को हो रहा है। इस प्रकार प्रार्थीया उक्त मकान की बहैसियत मालिक चली आ रही है। अप्रार्थीगण द्वारा करीब चार माह पूर्व प्रार्थीया को तंग व परेशान करते हुए जबरन मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया है, तभी से वह नयापुरा कोटा में किराये के मकान में निवास कर रही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के विरूद्ध की गई मारपीट व मकान

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

से बेदखली के संबंध में थाना बोरखेड़ा कोटा में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसमें अप्रार्थीगण को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश करने पर उन्हें पाबंद किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है एवं उनकी कोई देखभाल नहीं की जाती है, जबकि अप्रार्थीगण का यह कर्तव्य है कि वह प्रार्थीया की सार संभाल एवं भरण पोषण करें। प्रार्थना के निस्तारण में समय लगेगा, इस कारण से तानिस्तारण प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण से पृथक पृथक रूप से एवं संयुक्त रूप से 10 हजार रूपये प्रतिमाह अंतरिम भरण पोषण ताफैसला निस्तारण प्रार्थना पत्र अप्रार्थी से दिलाया जावे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि अप्रार्थीगण से प्रार्थीया को पृथक पृथक रूप से अथवा संयुक्त रूप से 10000 रूपये प्रतिमाह खर्चा दिलाया जाये एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ किये गये कृत्यों के लिये अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर उसके कृत्यों के लिये उन्हें दण्डित किया जावे एवं प्रार्थीया के स्वामित्व का मकान वाके प्रताप नगर, प्रथम, बोरखेड़ा कोटा से अप्रार्थीगण को बेदखल कर उनके कब्जे से मुक्त करवाकर उसका खाली कब्जा प्रार्थीया को दिलवाया जावे अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे, परिवादी को दिलाई जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण उपस्थित नही हुये। अतः बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी की ओर से बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान से बेदखल किये जाने एवं भरण पोषण हेतु भत्ता दिलवाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीया की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थीया के मालिकाना स्वत्व का एक मकान पैमाईश 25 गुणा 50 फीट वाके प्रताप नगर बोरखेड़ा कोटा में स्थित है, जिसमें दो कमरे ग्राउण्ड फलोर व 2 कमरे उपर बने हुए है, प्रार्थीया भी उपरोक्त वर्णित मकान के प्रथम मंजिल पर निवास करती थी। उक्त मकान नगर विकास न्यास से श्रीमती कौशल्या बाई द्वारा खरीद किया गया था, इस प्रकार प्रार्थीया उक्त मकान की बहैसियत मालिक चली आ रही है। अप्रार्थीगण द्वारा करीब चार माह पूर्व प्रार्थीया को तंग व परेशान करते हुए जबरन मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया है, तभी से वह नयापुरा कोटा में किराये के मकान में निवास कर रही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के विरूद्ध की गई मारपीट व मकान से बेदखली के संबंध में थाना बोरखेड़ा कोटा में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है एवं उनकी कोई देखभाल नहीं की जाती है। प्रार्थीया की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के समर्थन में मात्र फोटो प्रति यू0आई0टी0 पटटा पेश की है। उक्त फोटो प्रति के अवलोकन से यह तथ्य तो स्पष्ट है कि उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी

त्र प्रार्थी पक्ष.......

ार्थी ...... द्वारा प्रस्तत बाद

मकान प्रार्थीया का स्वअर्जित मकान है एवं प्रार्थीया का मालिकाना हक निहित है। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ बदसलूकी, गाली गलौच, मारपीट करने एवं मकान से बेदखल किये जाने का कथन प्रार्थीया द्वारा किया गया है उसके सम्बंध में किसी प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीया अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः हम उपरोक्त मकान 365, प्रताप नगर बोरखेड़ा थाना बोरखेड़ा कोटा से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाना उचित नही पाते है। प्रार्थीया का यह भी कथन रहा है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया की कोई देखभाल, सार संभाल एवं भरण पोषण नही किया जाता है। चूंकि प्रार्थीया वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाती हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थीया अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अतः अप्रार्थी कम 1 व 3 को आदेशित किया जाता है कि अपनी माता को 2,000/–, 2,000/– रूपये मासिक प्रत्येक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों एवं न्यायहित अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थीया के लिए उपरोक्त मकान के ग्राउण्ड पर बने 1 कमरा प्रार्थीया के निवास हेतु खाली करे एवं उपरोक्त कमरे में प्रार्थीया के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक ......1/7/25...... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा